आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

नजरसानी प्रा.पत्र संख्या 21M/2016 पृथ्वीसिंह आदि बनाम शिवराजसिंह आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
19.02.18	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.09.2015 को मेजरसिंह आदि द्वारा राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय में अपील सं. 253/2015 पेश की जो दिनांक 17.08.2016 को स्वीकार कर चक 12 ओ. के मु.नं. 36 के कि.नं. 1, 10, 11, 21 में 2–2 बिस्वा रास्ता इस शर्त पर स्वीकार किया गया कि अपीलांट अपनी विपती भूमि में से रास्ते के बराबर का रकबा रेस्पों. जिनकी भूमि रास्ते में जाती है, को देगें। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने यह नजरसानी प्रा.पत्र पेश किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.08.2016 में संशोधन किया जाकर चक 12 ओ. के मु.नं. 36 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे जबकि वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि नजरसानी प्रा.पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है। प्रार्थी ने जो नजरसानी में आधार पर लिये हैं वे अपील के आधार हैं। नजरसानी प्रा.पत्र उस स्थिति में पेश किया जाता है कि जब किसी आदेश में कोई विधिक भूल रह गई हो। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2016 में कोई विधिक भूल नहीं है। अतः नजरसानी प्रा.पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिव्यू प्रा.पत्र इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.08.2016 के विरूद्ध पेश किया गया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत कर अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट पर गौर किये बगैर निर्णय पारित किया है। अतः	

19/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया, प्रा.पत्र अन्तर्गत राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत पेश किया है जिसकी संदर्भित विधि धारा 229(2) है जिसकी Bare reading है कि इस विधि के दो पायदान है। प्रथम जहां अपील का अनुतोष उपलब्ध न हो तो सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 के अन्तर्गत निर्धारित मियाद में प्रा.पत्र पेश हुआ हो। प्रकरण हाजा राज. काश्त.अधि. 1955 की तृतीय अनुसूची के कम सं. 81ए पर अंकित होकर उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 16.09.2015 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. पेश होकर दिनांक 17.08.2016 को अपील का निर्णय किया गया जिससे आहत होने पर अनुतोष इसी अधिनियम की धारा 224 में निहित होकर अपील माननीय राजस्व मण्डल में पेश होगी। अतः निर्णय दिनांक 17.08.2016 Reviewable order न होकर Appealleable order होने से नजरसानी प्रा.पत्र खारिज योग्य है। वही मियाद अधिनियम 1963 के पार्ट–I के कम सं. 122 के अनुसार नजरसानी प्रा.पत्र पेश करने की मियाद 30 दिन है जो दिनांक 27.09.2016 को मियाद बाहर पेश हुआ जो delay condone करने का आधार उपलब्ध नहीं है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी। नजरसानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा प्रा.पत्र के तथ्यों को दोहराया जबकि अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित बहस में रिव्यू प्रा.पत्र खारिज योग्य होना जाहिर किया तथा अपने कथनों के समर्थन में 2017 आर.बी.जे. 496, 2003 आर.बी.जे. 64, 2010 आर.आर.डी. 130, 2007 आर.बी.जे. 139, 267 व 413, 1977 आर. आर.डी. 344 न्याय सिद्धांत पेश किये।

पत्रावली के अवलोकन, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि:–

(1) इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.08.2016 Reviewable नहीं है।

(2) नजरसानी प्रा.पत्र मियाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है।

(3) अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत प्रकरण हाजा में चस्पा योग्य हैं।

अतः बिन्दु सं. 1 से 3 के विवेचन अनुसार नजरसानी प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल अपील के साथ शामिल रहे।

4/12/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)